# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 453/2024**

इस्लामुद्दीन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.02.2024

**आदेश की दिनांक** : 06.03.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सलीम खान, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर जयपुर हैरिटेज में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कामां किया गया है। उनका कथन है कि उक्त स्थानान्तरण होने से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी और पदस्थापन कार्यालय का नाम भी अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। अपीलार्थी हृदय रोग से पीडित है, जिसका जयपुर में ईलाज चल रहा है। उसकी पत्नी के घुटनों का ऑपरेशन भी हुआ है, जिसका भी उपचार जारी है और उसकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा

परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नरेश कोली बनाम राज्य व अन्य में अनुचित माना है। इस प्रकार आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर जयपुर हैरिटेज में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कामां किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्ष 1994 से हवामहल जोन हैरिटेज मुख्यालय आदर्श नगर हैरिटेज जयपुर लगभग 30 वर्षों से जयपुर कार्यरत है और इतने लम्बे समय अंतराल बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण कामां किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

*"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**